राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेलः–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईटः– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ सड़क निर्माण/अजमेर/18/ 78239 दिनांक :– 4.10.18

स्वीकृति आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा की गई बजट घोषणा वर्ष 2017–18 की क्रियान्वति के क्रम में राज्य के समस्त नगर निकाय क्षेत्रों में सड़क निर्माण/सड़क सुधार (Road Restoration) से सम्बन्धित कार्य करवाये जाने हेतु विभागीय आदेश क्रमांक प.6(ड)लेखा/डीएलबी/2017/सड़क निर्माण/20677 दिनांक 08.11.2017 द्वारा कार्य करवाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी। इसके उपरान्त विभागीय आदेश क्रमांक 73684 दिनांक 11.09.2018 द्वारा नगर निगम अजमेर क्षेत्र में राशि रू. 10.48 करोड़ की लागत से 56 कार्य करवाने की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी।

आयुक्त नगर निगम अजमेर के पत्र क्रमांक 1976 दिनांक 01.10.2018 एवं बीड मूल्यांकन समिति की सभा दिनांक 03.10.2018 में लिये गये निर्णय के क्रम में पूर्व में स्वीकृत सड़क 18 फीट चौड़ाई लागत राशि रू. 19.81 लाख के स्थान पर 50–55 फीट की चौड़ाई में राशि रूपयें 48.68 लाख की लागत से सड़क का निर्माण करवाये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माननीय मंत्री महोदय से अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रदान की जाती है।

उक्त कार्य की क्रियान्विति हेतु अतिरिक्त राशि रूपयें 28.87 लाख (48.68–19.81) की व्यवस्था RUIRP-I के अन्तर्गत नगरीय निकाय क्षेत्रों में क्रियान्वित करवाये जा रहे कार्यो हेतु आमन्त्रित की गई निविदा में "Rate Quoted below Tender Price" से होने वाली बचत राशि से की जायेगी।

01. निकाय राशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जाना सुनिश्चित करेगा, जिस हेतु राशि जारी की गई है।
02. निकाय इस राशि के व्यय में RTPP Act 2012/Rules 2013 संबंधित वित्तीय नियमों एंव निर्धारित प्रक्रियाओं की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेगा।
03. निकाय RUIRP-I अन्तर्गत जारी किये गये दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार ही उक्त राशि व्यय करेगा।
04. उक्त करवाये जाने वाले कार्यो की थर्ड पार्टी एजेन्सी विभाग के द्वारा पूर्व में जारी की गये दिशा निर्देशानुसार ही होगी।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ सड़क निर्माण/अजमेर/18/ 78240–78251 दिनांक :– 4.10.18

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
04. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वा0 शासन विभाग राज0 जयपुर।
05. महापौर, नगर निगम, अजमेर।
06. जिला कलक्टर, अजमेर।
07. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
08. कार्यकारी निदेशक, रूडसिको, लालकोटी स्कीम, जयपुर।
09. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर।
10. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय।
11. आयुक्त, नगर निगम, अजमेर।
12. प्रभारी वेबसाईट/समन्वयक सी.एम.ए.आर. को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली।

4.10.18
(भूपेन्द्र माथुर)